

05/06/17
05.05PM

कार्यालय नज़ारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी इशतिहार नीलाम ठेका वर्ष 2017-18

राजशासन को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेको की नीलामी दि० 22.06.2017 को समय 4.00 बजे सायं जिला न्यायालय परिसर बाराबंकी में सम्पन्न होगी।

1. दुकान नं०1, चाय,मीठा,नमकीन ए०जी०आर० गवन के निकट निर्वाचन कार्यालय की बाउन्ड्री से सटाकर क्षेत्रफल 10X15 फिट।
2. ठेका फोटो स्टेट न्यायमक के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।
3. ठेका फोटो ग्राफी न्यायमक के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

नियम व शर्तें

1. उक्त ठेको की बोली बोलने हेतु आवेदन को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का जमा किया शशि नकद प्रतिगू शशि दि० 21.06.2017 को जमा करनी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा नितास प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी गजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य जमा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
3. ठेका की अवधि दि० 31.03.2018 तक होगी।
4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर चार त्रैमासिक किश्तों में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमें एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिक्कोरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी एत व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम किश्त जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त व चौथी किश्त कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में देय होगी। चौथी किश्त न जमा करने पर पूर्व में जमा सिक्कोरिटी मनी से जमा कर लिया जायेगा।
5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व रजाम पेपर पर ठेका डीड निर्धारित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार का एडमि पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगे, साफ सफाई में डिसिंफिन्ट का प्रयोग आवश्यक करेगे।
6. अधोहरताधारी का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकता है।
7. निर्धारित समय पर उपलब्ध किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से समूचा उठायेगा तथा जमात धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जहाँ साफ सफाई सामान बिर्कतानी आदि रक्छ रखना होगा।
9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण में अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण का जमाना जमा पर हटाना ही है।
10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोर कर अध्यासपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी ठेका ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को दुकान पर रेंट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों के अनुग्न होगा अथवा अधोहरताधारी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।
12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर ठेका अधोहरताधारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. उपरोक्त दुकानों की कमतार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (गिछली बोली नर 10 प्रतिशत गिलाकर) निर्धारित है।

Handwritten notes in Hindi, including 'नियम व शर्तें' and other illegible text.

1. दुकान नं०1, चाय,मीठा,नमकीन
2. ठेका फोटो स्टेट
3. ठेका फोटो ग्राफी

5/6/17

5/6/17
(05 SP BBR)

05/06/2017

05/06/17

जनपद न्यायालय
बाराबंकी

05/06/17
05.05PM